



डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
उत्तर प्रदेश सरकार
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow
Government of Uttar Pradesh

पत्रांक-1197/फा0सं0-404/आवास आवंटन/DSMNRU/2021-22,

दिनांक: 05 अक्टूबर, 2021

// कार्यालय-ज्ञाप //

डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ के मा0 कार्य परिषद् की 34वीं बैठक, दिनांक-02 सितम्बर, 2021 को आहूत बैठक के क्रम में निर्गत कार्यवृत्त पत्रांक-938/फा0सं0-36 (षष्ठम)/DSMNRU/कार्यपरिषद्/2021-22, दिनांक-08 सितम्बर, 2021 के बिन्दु संख्या-22/34 के उप बिन्दु-02 पर प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में विश्वविद्यालय में कार्यरत् शिक्षकवृन्द/कार्मिकों के लिए निर्मित प्लैट्स हेतु आवास आवंटन नियमावली पर अनुमोदन प्रदान किया गया है।

उक्त के अनुक्रम में विश्वविद्यालय के शिक्षकवृन्द/कार्मिकों हेतु आवास आवंटन नियमावली प्रख्यापित किया जा रहा है। अतः समस्त शिक्षकवृन्द/कार्मियों से अपेक्षित है कि विश्वविद्यालय हेतु आवास आवंटन नियमावली में वर्णित व्यवस्था का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. कुलपति कार्यालय, मा0 कुलपति महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. समस्त शिक्षकवृन्द, विश्वविद्यालय।
3. समस्त अधिकारीगण, विश्वविद्यालय।
4. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर 'आवास आवंटन नियमावली' को अपलोड किये जाने हेतु।
5. समस्त गैर-शैक्षिक कर्मचारीगण विश्वविद्यालय।
6. गार्ड फाइल।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव

(2)

डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में कार्यरत कार्मिकों के लिए निर्मित आवास के आवंटन हेतु तैयार की गई नियमावली के सम्बन्ध में।

निर्णय:—मा० कार्य परिषद की आहूत बैठक में डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में कार्यरत कार्मिकों के लिए निर्मित आवास के आवंटन हेतु तैयार की गई नियमावली के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया गया। तत्क्रम में मा० परिषद को विश्वविद्यालय में स्थापित आवसीय भवनों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया, जो निम्नवत् हैं:—

क्र.सं.	भवन	भवन का तल	आवासों की संख्या	आवंटित आवास	रिक्त आवास
1.	टाइप-5	कुल 08 तल	35 आवास	16 आवास	19 रिक्त
2.	टाइप-4	कुल 08 तल	34 आवास	31 आवास	03 रिक्त
3.	टाइप-3	कुल 09 तल (ब्लॉक-ए)	36 आवास	21 आवास	15 रिक्त
		कुल 09 तल (ब्लॉक-बी)	36 आवास	—	36 रिक्त
4.	टाइप-1	कुल 06 तल (ब्लॉक-ए)	20 आवास	08 आवास	12 रिक्त
		कुल 06 तल (ब्लॉक-बी)	20 आवास	—	20 रिक्त

उपरोक्त भवनों की स्थिति से मा० परिषद को अवगत कराए जाने के उपरान्त यह भी संज्ञानित कराया गया कि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की भर्ती किए जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। सरकार द्वारा चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की सेवाएं सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से लिए जाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। इसलिए विश्वविद्यालय में निर्मित टाइप-1 को विश्वविद्यालय के विविध उद्देश्यों के प्रयोगार्थ ट्रान्जिस्ट हास्टल बनाया जाना प्रस्तावित है। तदनुसार आवास आवंटन समिति द्वारा

(अभिषेक कुमार सिंह)
सहायक निदेशक
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

Page
10

(सुभाष चंद्र)
सहायक निदेशक
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय

प्रथम आवास आवंटन नियमावली

माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देश के अनुपालन में डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ में आवास आवंटन समिति की एक बैठक दिनांक 13 अगस्त, 2021 को आहूत की गयी। डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में कार्यरत् शिक्षकवृन्द, अधिकारीगण एवं गैर-शैक्षिक कर्मचारीगण हेतु आवास आवंटन नियमावली तैयार किये जाने हेतु गठित समिति द्वारा सर्वसम्मति से संस्तुति की गयी। समिति द्वारा आवास आवंटन हेतु निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं :-

- (1) डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ में नियमित रूप से कार्यरत् प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, अधिकारीगण एवं गैर-शैक्षिक कर्मिकों को ज्येष्ठता के क्रम में आवासीय परिसर में आवास का आवंटन किया जायेगा।
- (2) विश्वविद्यालय के मा० कुलपति द्वारा प्रदत्त निर्देश/अनुमोदन के क्रम में आवश्यक सेवाओं में कार्यरत् शिक्षकवृन्द, अधिकारीगण एवं गैर-शैक्षिक कर्मिकों को प्राथमिकता के आधार पर परिसर में आवास आवंटन किये जायेंगे।
- (3) विश्वविद्यालय आवास आवंटन नियमावली के अन्तर्गत प्रत्येक श्रेणी के आवास हेतु आवंटन की अर्हता का प्रकार निम्नवत् है :-
 - (क) टाइप-5 आवास आवंटन हेतु अर्हता-

प्रोफेसर एवं एसोसिएट प्रोफेसर

 - (ख) टाइप-4 आवास आवंटन हेतु अर्हता-

असिस्टेंट प्रोफेसर एवं पे-लेवल 8 से 12 के अधिकारीगण

 - (ग) टाइप-3 आवास आवंटन हेतु अर्हता-

(i) विशेष शिक्षक एवं अन्य अधिकारीगण पे-लेवल 6 से 7 (टाइप-3, ब्लॉक-बी),
(ii) गैर-शैक्षिक कर्मचारीगण पे-लेवल 3 से 6 तक
 - (घ) टाइप-2 आवास आवंटन हेतु अर्हता-

वर्तमान में टाइप-2 आवास का निर्माण नहीं हुआ है। अतः टाइप-2 के पात्र कर्मिकों को पे-लेवल 3 से 6 तक टाइप-3, ब्लॉक-ए आवंटित किया गया है।

 - (ङ) टाइप-1 आवास आवंटन हेतु अर्हता-

गैर-शैक्षिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण पे लेवल-1 से 2 तक
--
- (4) आवेदक का आवास जनपद-लखनऊ क्षेत्र में स्वयं तथा पत्नी के नाम से निजी आवास निर्मित न हो/रेन्ट कन्ट्रोल द्वारा आवंटित भवन/लखनऊ विकास प्रधिकारण/उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् द्वारा आपंटित भवन न हो, उक्त के सम्बन्ध में निवेदनकर्ता द्वारा शपथ-पत्र देय होगा।
- (5) सेवानिवृत्ति या त्याग-पत्र देने की स्थिति में आवासीय स्टॉफ को सेवानिवृत्ति/त्याग-पत्र देने की तिथि से 03 माह के अन्दर, भौतिक सत्यापन करते हुए आवास रिक्त कर कब्जा विश्वविद्यालय को देना होगा, तत्पश्चात् आवास में रहने की अनुमति नहीं होगी। यदि 03 माह पश्चात् सम्बन्धित स्टॉफ विश्वविद्यालय आवास रिक्त नहीं करते हैं, तो भौतिक सत्यापन करते हुए एच०आर०ए० का तीन गुना (जो भी अधिक हो) प्रतिमाह की दर से विश्वविद्यालय को भुगतान किया जाना होगा। 9 माह पश्चात् विश्वविद्यालय आवास में रहने की अनुमति नहीं होगी और प्रत्येक दशा में आवंटित आवास विश्वविद्यालय द्वारा रिक्त करा लिया जायेगा।
- (6) विश्वविद्यालय आवंटित आवास में शिक्षकवृन्द, अधिकारीगण एवं गैर-शैक्षिक कर्मिकों को स्वयं के स्तर से विद्युत कनेक्शन विद्युत विभाग से लिया जाना अनिवार्य होगा।

विश्वविद्यालय के आवासिय परिसर टाइप-1, बी-ब्लॉक भवन का उपयोग अतिथि गृह एवं ट्रांजिट हॉस्टल हेतु नियमावली

- 1- विश्वविद्यालय परिसर में निर्मित आवास टाइप-5, टाइप-4, टाइप-3 एवं टाइप-1 में आवंटित कार्मिकों को जिन्हें मा0 कार्यपरिषद्/मा0 कुलपति महोदय द्वारा अनुकम्पा एवं विशेष परिस्थितियों में आवास आवंटन प्रदान किया गया है वे समस्त कार्मिक डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ परिसर में निर्मित आवास टाइप-5, टाइप-4, टाइप-3 एवं टाइप-1 हेतु बनाये गये आवास आवंटन नियमावली से आच्छादित होंगे।
- 2- विश्वविद्यालय परिसर में निर्मित आवास टाइप-1, ब्लॉक-बी का उपयोग ट्रांजिट हॉस्टल एवं अतिथि गृह के रूप में उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा।

अतिथि गृह हेतु-

1. टाइप-1, ब्लॉक-बी का चतुर्थ एवं पंचम तल अतिथि गृह के रूप में उपयोग में लाया जायेगा, जिस हेतु धनराशि रू0 500/- की दर प्रतिदिन प्रत्येक अतिथि हेतु देय होगा। यह सुविधा विश्वविद्यालय में कार्यरत कार्मिकों हेतु अनुमन्य होगी। एक अतिरिक्त अतिथि की स्थिति में कुल रू0 800/- दर से प्रतिदिन शुल्क देय होगा।
2. विश्वविद्यालय कार्य से आने वाले अतिथियों अथवा अन्य आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित व्यक्ति से अतिथि गृह का किराया शून्य होगा तथा प्रतिदिन दिये जाने वाले डी0ए0 का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा देय नहीं होगा।

ट्रांजिट हॉस्टल हेतु-

1. विश्वविद्यालय में कार्यरत विशेष सेवा से जुड़े सेवा प्रदाता के कार्मिक, गेस्ट फ़ैकल्टी, संविदा के रूप में कार्यरत फ़ैकल्टी आदि को धनराशि रू0 5000/- प्रतिमाह की दर से ट्रांजिट हॉस्टल देय होगा। निर्धारित विद्युत दरों के अनुसार उपभोग की जाने वाली विद्युत के सापेक्ष विद्युत बिल देय होगा साथ ही विश्वविद्यालय नियमानुसार निर्धारित जल एवं सीवर कर प्रतिमाह देय होगा।
2. विश्वविद्यालय में कार्यरत गेस्ट फ़ैकल्टी को विश्वविद्यालय द्वारा अनुमन्य परिवहन भत्ता देय नहीं होगा, यदि वे ट्रांजिट हॉस्टल का उपयोग करेंगे।